चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपित त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र राममूरत निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 43 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

43 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपित त्रिपाठी
2.उ0नि0 यूटी0 श्री कुंवर प्रखर सिंह
3.आरक्षी श्यामू

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस ने धोखाधड़ी कर शादी का झांसा देकर घर में बंधक बनाकर मारपीट कर मृत्यु का भय दिखाकर टेबलेट व नगदी ले लेने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक **30.**04.2024 को वादी श्री शिवकान्त शर्मा पुत्र रामनिवास निवासी सुजौनी थाना पिछौर जनपद शिवपुरी म0प्र0 द्वारा थाना मानकिपुर में सूचना दी कि ग्राम डांडी चमरौड़ी में उनके साथ धोखाधड़ी कर शादी का झांसा देकर घर में बंधक बनाकर मारपीट, गाली गलौज कर मृत्यु का भय दिखाकर टेबलेट व नगदी ले ली है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 84/2024 धारा 420,342,386,323,504 भादवि0 पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक 01.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर भरोसा बांध पर से समय करीब 05.30 बजे अभियुक्त राजनरायन पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी डांडी चमरौडी मजरा चुरेह केशरुवा थाना मानकिपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गयी तथा उसकी निशादेही पर उसके घर से एक बैग में सैमसंग कम्पनी का टेबलेट व 2500/- रुपये तथा वादी कपड़े बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजनरायन पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी डांडी चमरौडी मजरा चुरेह केशरुवा थाना मानकिपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

(1).घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू
(2).सैमसंग कम्पनी का टेबलेट
(3).2500/-रुपये नगद
(4).वादी के कपड़े

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार थाना मानकिपुर
2.उ0नि0 श्री राजोल नागर
3.आरक्षी दीपेश यादव

4.आरक्षी अजीजुद्दीन
5.आरक्षी दीपक कुमार
6.आरक्षी अंकित राजपूत

(3). आज दिनाँक 02.05.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा थाना राजापुर में कस्बा राजापुर के सर्राफा व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गयी । गोष्ठी में सर्राफा व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं के साथ के दृष्टिगत सभी को सतर्कता रखने हेतु बताते हुये कहा गया कि जेवरात एवं नगदी लेकर चलते समय सतर्कता रखें यथासम्भव चार पहिया वाहन का प्रयोग करें। बाइक पर नकदी व जेवर लेकर अकेले सफर न करें कम से कम दो लोग तो एक साथ सफर करें । अपनी-अपनी दुकानों में एवं दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवायें, दुकानों के बाहर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करायें तथा सर्राफा बाजार में पूर्व की भांति चौकी व्यवस्था बनाकर रखें ।

इस दौरान निरीक्षक अपराध थाना राजापुर श्री विनोद कुमार सरोज तथा कस्बा राजापुर के सर्राफा व्यापारी उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2017 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राकेश सोनकर पुत्र समोखे सोनकर निवासी हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया ।

(5). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी

रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(6). आज दिनांक 02.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में कर्वी शहर में पैदल गस्त किया गया पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों,व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था एवं चुनाव में शान्ति बनाये रखने की अपील की गयी।
पैदल गस्त के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहें।

(7). आज दिनाँक 02.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में कर्वी शहर के सर्राफा व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में सर्राफा व्यापारियों को सतर्कता रखने हेतु बताते हुये कहा गया कि जेवरात एवं नगदी लेकर चलते समय सतर्कता रखें यथासम्भव चार पहिया वाहन का प्रयोग करें। बाइक पर नकदी व जेवर लेकर अकेले सफर न करें कम से कम दो लोग तो एक साथ सफर करें। अपनी-अपनी दुकानों में एवं दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवायें, दुकानों के बाहर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करायें तथा सर्राफा बाजार में पूर्व की भांति चौकी व्यवस्था बनाकर रखें।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल ,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा कर्वी शहर के सर्राफा व्यापारी उपस्थित रहे।